प्रेस विज्ञप्ति

08.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने "ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश" के कोष से फर्जी बिल पास करने और सरकारी धन की हेराफेरी करने से संबंधित अपराध के मुख्य षड़यंत्रकारी कमल राठौर को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने पुलिस स्टेशन कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसके बाद अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा के कोष से किए गए कुल 20,36,34,988/- रुपये के संदिग्ध और धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान के लिए आईपीसी, 1860 और आईटी अधिनियम, 2000 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

मामले में अब तक की गई जाँच से पता चला है कि अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच, खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), कट्ठीवाड़ा के कार्यालय में वेतन, जीआईएस, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न मदों में 20,47,12,727/- रुपये की राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया था और उस राशि को जाली बिलों का उपयोग करके धोखाधड़ी से निकाला गया और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में हेरफेर करके कई निजी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। पीएमएलए के तहत जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कमल राठौर ने अपने या अपने परिवार के सदस्यों/मित्रों/रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर 57 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 14.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। इससे पहले, इस मामले में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।